

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
सं० /2015/04(180)/XXVII(8)/2013
देहरादूनः दिनांकः 23 जुलाई, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है
अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम,
1975(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 4-क की उपधारा (1) सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण
खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, जिला टिहरी(धनोलटी एवं नरेन्द्रनगर की तहसील को छोड़कर) जिला
पौड़ी(कोटद्वारा एवं लैंसडाउन की तहसील को छोड़कर) जिला रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी व चमोली के
समस्त क्षेत्र में अवस्थित होटल, उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 की धारा
3 के खण्ड(ग) में यथा पारिभाषित, को एक वर्ष अर्थात् दिनांक 01-05-2015 से 30-04-2016 तक
लगने वाले सुख-साधन कर में शत-प्रतिशत छूट दिए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राकेश शर्मा)


अपर मुख्य सचिव।

सं०५००/2015/04(180)/XXVII(8)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियों वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4—सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5—एन०आई०सी०
- 6—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,


(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

१९६
अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 400/ 2015/04(180)/ XXVII(8)/2013 dated 23 July, 2015 for general information.

**Government of Uttarakhand
Finance Section-8**

No. 400 / 2015/ 04(120) / XXVII(8)/ 2013

Dehradun :: Dated: : 23 July, 2015

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4-A of the Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975(as applicable to the State of Uttarakhand) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, a full exemption in Luxury Tax for the period of one year i.e. from 01-05-2015 to 30-04-2016, to the Hotels, as defined in clause (c) of Section 3 of the Uttar Pradesh Taxation and Land Revenue Laws Act, 1975, situated in District Tehri (excluding Dhanauli and Narendra Nagar Tehsil), District Pauri (excluding kotdwar and Lansdowne Tehsil), and entire District of Rudraprayag, Uttarkashi, Chamoli.


(Rakesh Sharma)
Additional Chief Secretary